भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–4903, दिनांक–02.06.2017 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–06.06.2017 में मद संख्या–07 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

7.	संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 18 (अठारह) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक–05.09.2016 से दिनांक–04.09.2017 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	7. स्वीकृत।

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

Scanned with OKEN Scanner

(705)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

(10) 23.6.17

संकल्प

विषय:- **संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 18 (अठारह) कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक 05.09.2016 से दिनांक 04.09.2017 तक पुनर्नियोजन किये जाने संबंध में।**

राज्य में कनीय अभियंताओं (असैनिक) की नियुक्ति के लिए जल संसाधन विभाग नोडल विभाग था। जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की सेवा पथ निर्माण विभाग को सौपी गई एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण विभाग को सेवा सौपी गयी। संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जाता रहा है। संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सामान्य दिशा निर्देश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार पटना के संकल्प सं0-2401 दिनांक 18.07.2007 द्वारा निर्धारित है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-8025 दिनांक-21.05.2013 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। विगत वर्ष में विभागीय कार्यालय आदेश सं0-258 सहपठित ज्ञापांक 9264(भ) दिनांक 03.09.2015 द्वारा 24 (चौबीस) कनीय अभियंताओं को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन किया गया था, जिनका नियोजन अवधि समाप्त हो चुका है। फलतः भवन निर्माण विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियमित नियुक्ति में प्रक्रियात्मक विलंब एवं विभागीय कार्य के सुचारू संपादन को दृष्टिगत रखते हुए 18 (अठारह) कनीय अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की दिनांक 06.06.2017 को सम्पन्न बैठक (मद सं0-7) में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23.6.17

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-भवन/03-स्था0ए0-11/2016.....5701(अ)..... पटना, दिनांक:- 23.6.17

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

23.6.17

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0.....

E:\Sumit Kumar Vatsa 2016\Amrendra Jee

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक:-भवन/03-स्था0ए0-11/2016.....5701(अ)..... पटना, दिनांक:- 23.6.17

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.6.17

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-भवन/03-स्था0ए0-11/2016.....5701(अ)..... पटना, दिनांक:- 23.6.17

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण) मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचित/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.6.17

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-भवन-03/स्था0ए0-11/2016.....5701(अ)3अनु3..... पटना, दिनांक:- 23.6.17

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कुल 18 (अठारह) कनीय अभियंता की सूची के साथ विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु-यथोक्त

22.6.17

(जनक राम)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Sca

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

कार्या0आ0सं0-3-स्था0-ए0-22/2013.....148...../ पटना, दिनांक-19/7/2017

कार्यालय आदेश

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-5701 दिनांक-23.06.2017 द्वारा संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) का पुनर्नियोजन अगले एक वर्ष दिनांक-05.09.2016 से 04.09.2017 तक के लिए सरकार द्वारा निरूपित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-258-सह-पठित ज्ञापांक-9264(भ) दिनांक-03.09.15 द्वारा संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) को विभिन्न अंचलो/प्रमंडलों में पदस्थापित किया गया था जिनकी नियोजन अवधि समाप्त हो चूकी है। उन कनीय अभियंताओं का पुनर्नियोजन दिनांक-05.09.16 से दिनांक-04.09.17 तक के लिए विस्तार करते हुए पूर्व पदस्थापित प्रमंडल में पदस्थापित किया जाता है जो निम्नरूपेण है:-

क्र0	कनीय अभियंताओं का नाम	गृह जिला	पदस्थापित प्रमंडल/अंचल का नाम
1.	श्री गोविन्द कुमार शर्मा	बक्सर	भवन प्रमंडल, भागलपुर
2.	श्री आनंद कुमार	समस्तीपुर	भवन प्रमंडल किशनगंज
3.	श्री अभिनाश कुमार सिंह	किशनगंज	भवन प्रमंडल,अररिया।
4.	श्री उत्तम कुमार	शेखुपरा	भवन प्रमंडल, छपरा
5.	श्री सीताराम प्रसाद	नालंदा	भवन प्रमंडल, गया
6.	श्री संतोष कुमार शर्मा	समस्तीपुर	भवन प्रमंडल, औरंगाबाद
7.	श्री सन्नी कुमार	प0 चम्पारण	भवन अंचल, दरभंगा
8.	श्री विपिन कुमार	बक्सर	भवन प्रमंडल, दरभंगा
9.	श्री दिनेश प्रसाद साहू	मधुबनी	भवन प्रमंडल दरभंगा
10.	श्री मृत्युंजय	जमुई	भवन प्रमंडल, भागलपुर
11.	श्री राहुल कुमार	मधेपुरा	भवन प्रमंडल, सहरसा
12.	श्री सूर्यमणी कुमार	नालंदा	भवन प्रमंडल, नवादा
13.	श्री ओम प्रकाश राम	गढ़वा	भवन प्रमंडल, सासाराम
14.	श्री कुणाल कुमार	जहानाबाद	भवन प्रमंडल, सिवान
15.	मो0 जावेद अख्तर	मुजफ्फरपुर	भवन प्रमंडल, हाजीपुर
16.	श्री मिथिलेश कुमार	समस्तीपुर	भवन प्रमंडल, गोपालगंज
17	श्री सरोज कुमार	मधुबनी	भवन प्रमंडल गोपालगंज
18.	मो0 बजैर आलम	मुजफ्फरपुर	भवन प्रमंडल, कटिहार

1. यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध एवं अधिकतम एक वर्षो के लिए है।
2. यह संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अवधि विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजन किये गये कनीय अभियंता को सरकारी सेवक नही माना जायेगा और न ही सरकारी सेवक की तरह अनुमान्य किसी भी प्रकार की सुविधा के हकदार होंगे। साथ ही संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

4. नियोजित कनीय अभियंता (संविदा) की पारिश्रमिक ₹27,000/- (सत्ताईस हजार) प्रतिमाह देय होगी।
5. उक्त आदेश के आलोक में योगदान नहीं करने वाले कनीय अभियंता (संविदा) पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
6. पदभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह की संविदा राशि का एक मुश्त भुगतान देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
9. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अहर्त्ताओं की जाँच संबंधित संस्थान/प्राधिकार से कराये जाने पर यदि प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो संबंधित कर्मी का नियोजन तत्क्षण समाप्त कर दी जायगी। साथ ही भुगतान की गई पारिश्रमिक की राशि की वसूली नियमानुसार कर ली जायगी। साथ ही वैधानिक/कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
10. कनीय अभियंता (संविदा) की पारिश्रमिक ₹27,000/-(सत्ताईस हजार) मुख्यशीर्ष-उपशीर्ष/ लघुशीर्ष के व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ के लिए अदायगियों इकाई से विकलनीय होगी।
11. नियोजित कनीय अभियंताओं के पारिश्रमिक का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय में कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
12. पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर पदस्थापित कार्यालयों/प्रमंडलों में योगदान नहीं करने पर नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
13. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में संबंधित कनीय अभियंताओं से एकरारनामा कराने के पश्चात् ही उनके मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

19/7/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 6443 (1)
11/7/17 दिनांक- 12.7.17 2017 19/7/17

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी सभी संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/7/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 6443 (a)
11/7/17 दिनांक- 12.7.17 2017 19/7/17

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव कोषांग, भवन निर्माण विभाग/सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ सभी संबंधित संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/7/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

11/7/17 12.7.17

Scanned with OKEN Scanner